दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को दी गई 44.48 करोड़ रुपए की राशि

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुँचाने के लिये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) शुरू की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।
- इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
- दयालु योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिये 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
- इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिये चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/an-amount-of-rs-44-48-crore-given-to-1159-beneficiaries-under-dayalu-scheme